


सरकार बनाम रणजीता

या. 18/1996

आज्ञा विरुद्ध रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/पैरोकार सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। पैरोकार सरकार की ओर से प्रकरण में किसी प्रकार की समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूर्व में भी पैरोकार सरकार को प्रकरण में पैरवी हेतु लिखा जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दपत्र हो।</p>	
<p> उपखण्ड अधिकारी जबपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	

